[2020] 2 उम. नि. प. 136

कश्मीरा देवी

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य

[2019 की दांडिक अपील सं. 724]

28 जनवरी, 2020

न्यायमूर्ति आर. बानुमति और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 304ख और 498क [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32 और 113ख] – दहेज मृत्यु और स्त्री के पति और नातेदारों द्वारा क्रूरता और तंग किया जाना – उपधारणा – मृतका की सास-अपीलार्थी द्वारा मृतका पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगाया जाना – मृतका द्वारा मृत्यु से पूर्व तीन मृत्युकालिक कथन किया जाना – पहले दो मृत्युकालिक कथन अभियुक्तों की मौजूदगी में किया जाना और अपीलार्थी सहित अन्य अभियुक्तों को आलिप्त न किया जाना – तीसरा कथन अभियुक्तों की गैर-मौजूदगी में स्वतंत्रतापूर्वक किया जाना और अपनी दाह-क्षतियों के लिए केवल अपनी सास-अपीलार्थी को उत्तरदायी ठहराया जाना – जहां साक्षियों के साक्ष्य से यह सिद्ध हो गया हो कि मृतका के ससुराल वालों द्वारा उसकी मृत्यु से कुछ पूर्व दहेज की मांग के लिए तंग किया था और क्रूरता की गई थी तथा अपीलार्थी-सास द्वारा मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे आग लगा दी गई थी और मृतका द्वारा अपनी मृत्यु से पूर्व स्वतंत्रतापूर्वक किए गए मृत्युकालिक कथन में अपीलार्थी को अपनी दाह-क्षतियों के लिए उत्तरदायी ठहराया हो, तो वहां उसकी दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं होगा ।

इस अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि मृतका/उर्मिला **उर्फ** गुड्डी और प्रोफार्मा प्रत्यर्थी सं. 3/जगदीश सिंह के बीच विवाह चार वर्ष पहले अनुष्ठापित हुआ था । विवाह के समय मृतका के माता-पिता द्वारा अपनी वित्तीय हैसियत के अनुसार दहेज दिया गया था ; इसके बावजूद

मृतका का पति और ससुराल वाले संतुष्ट नहीं थे । जब कभी मृतका अपने माता-पिता के घर आती थी, वह अपने पति, ससुर, सास अर्थात् अपीलार्थी/कश्मीरा देवी, पति के भाई और भाई की पत्नी द्वारा दहेज की मांग को पूरा न करने के लिए तंग करने और निर्दयतापूर्वक पिटाई करने के बारे में अभि. सा. 1/राजेश्वरी/मृतका की माता को शिकायत करती रहती थी । नवंबर, 2007 में, अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा मृतका को बुरी तरह से पीटा गया और तंग किया गया । अपने ससुराल वालों के दुर्व्यवहार के कारण वह अपने माता-पिता के घर आ गई । अभि. सा. 1 और उसके पति/ अभि. सा. 3 ने उसे तारीख 2 फरवरी, 2008 को यह कहते हुए वापस दांपत्य-गृह में भेज दिया कि वे बहुत गरीब हैं और अभियुक्त व्यक्तियों की मांगों को पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं । तारीख 8 फरवरी, 2008 को अभि. सा. 1 को ग्रामवासियों के बीच फैले इस समाचार के माध्यम से यह जानकारी मिली कि मृतका को जला दिया गया है, उसके पश्चात् उसने घटना के बारे में पूछताछ करने के लिए अपनी पुत्री के ससुराल वालों को फोन किया, तब प्रोफार्मा प्रत्यर्थी सं. 3 द्वारा उसे यह बताया गया कि वह स्टोव फटने के कारण जल गई है । अभि. सा. 1 अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ तुरंत मृतका की हालत को देखने के लिए बेस अस्पताल पहुंची और इस बारे में पूछताछ करने पर कि उसकी पुत्री कैसे जल गई, अभियुक्त व्यक्तियों ने संतोष जनक उत्तर देने के बजाय, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया और उन्हें धमकी देने लगे और मृतका को भी यह कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा पूछताछ करने पर वह यह कहे कि वह स्टोव से जल गई है । तारीख 14 फरवरी, 2008 को मृतका की उसकी क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई । तारीख 15 फरवरी, 2008 को अभि. सा. 1/राजेश्वरी/मृतका की माता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के अधीन एक आवेदन फाइल किया । दुर्घटना के पश्चात् पहले दिन मृतका का कथन अभिलिखित किया गया था, जिसमें मृतका ने यह कथन किया कि अचानक स्टोव फटा, तेल बिखरा और आग लग गई । उसने यह भी कथन किया था कि दुर्घटना के लिए कोई उत्तरदायी नहीं है । तारीख 7 फरवरी, 2008 को तहसीलदार द्वारा द्वितीय मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किया गया, जिसमें उसने यह कथन किया कि स्टोव फटा

और उसकी साड़ी में आग लग गई । अंतिम मृत्युकालिक कथन तारीख 13 फरवरी, 2008 को अभि. सा. 5/ शिशपाल सिंह/अपर तहसीलदार द्वारा अभिलिखित किया गया था, जिसमें मृतका ने यह कथन किया कि उसके और उसकी सास/अपीलार्थी के बीच झगड़ा हुआ था और झगड़े के दौरान उसकी सास ने उसे आग लगा दी थी और किसी अन्य की कोई अंतर्ग्रस्तता नहीं थी । अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख और 498क के अधीन आरोप पत्र फाइल किया गया । विचारण न्यायालय ने साक्ष्य पर विचार करने के उपरांत अपीलार्थी और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख और 498क के अधीन आरोपों के लिए यह उल्लेख करते हुए दोषमुक्त कर दिया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध मामले को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है । तारीख 25 फरवरी, 2010 के निर्णय से व्यथित होकर उत्तराखंड राज्य द्वारा अपील फाइल की गई, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश को अपास्त कर दिया और अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के साथ पठित धारा 304ख के अधीन दोषसिद्ध किया और उसे धारा 304ख के अधीन अपराध के लिए आजीवन कारावास भुगतने और दस हजार रुपए के जुर्माने का संदाय करने तथा जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर छह माह का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया । अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील भागत: मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभि. सा. 1 – राजेश्वरी देवी, मृतका की माता और अभि. सा. 3 बचन सिंह, मृतका के पिता ने यह कथन किया है कि मृतका उर्मिला को अपर्याप्त दहेज लाने के लिए उसके ससुराल वालों द्वारा तंग किया गया था । उन्होंने यह भी कथन किया है कि विवाह के पश्चात् जब मृतका अपने माता-पिता के घर आई तो वह शिकायत कर रही थी कि उसका पति और ससुराल वाले जिनमें ससुर, सास और अन्य सम्मिलित हैं, दहेज की मांग कर रहे थे । अभि. सा. 1 ने यह भी कथन किया था कि मृतका उर्मिला की अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा पिटाई की

गई थी, जिसके कारण उसकी आंख खराब हो गई थी और उसकी शल्य-क्रिया की गई थी । अभि. सा. 1 ने यह कथन किया कि जब मृतका पुन: तारीख 2 फरवरी, 2008 को अपने माता-पिता के घर वापस गई थी, तो अभि. सा. 1 मृतका को उसकी ससुराल लेकर गई थी, तब उन्हें एक गिलास पानी भी नहीं दिया गया और अभियुक्त व्यक्तियों ने पूछा कि वे अपने साथ क्या लेकर आए हैं । अभि. सा. 1 ने उन्हें बताया कि वे उनकी मांगों को पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं और एक रात ठहरने के पश्चात् तारीख 3 फरवरी, 2008 को अभि. सा. 1 अपने घर लौट आई । अभि. सा. 1 के साक्ष्य से अभियोजन पक्ष ने यह साबित किया है कि "मृत्यु से कुछ पूर्व" मृतका के साथ क्रूरता की गई थी और उसे तंग किया गया था । जब अभियोजन पक्ष ने यह सिद्ध कर दिया है कि मृतका को "मृत्यु से कुछ पूर्व" दहेज के लिए तंग किया गया था और विवाह के सात वर्ष के भीतर मृतका उर्मिला की अस्वाभाविक मृत्यु हुई थी, तब अपीलार्थी के विरुद्ध साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख के अधीन यह उप धारणा की जानी चाहिए कि उसने दहेज मृत्यु कारित की थी । जब एक बार अभियोजन पक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के संघटकों को सिद्ध कर देता है, तो यह भार अभियुक्त पर होता है कि वह इस उपधारणा का खंडन करे । किंतु अभियुक्तों ने इस उपधारणा का खंडन करने के लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है । जब वास्तविक घटना से पूर्व दहेज की मांग के संबंध में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में घटना पर विचार किया जाए, तो घटना के संबंध में प्रति. सा. 1 और प्रति. सा. 2 का साक्ष्य पर्याप्त नहीं है । वास्तव में, जब मृतका को कोटा अस्पताल, श्रीनगर से देहरादून के अस्पताल में स्थानांतरित किया गया था, तब अभि. सा. 1 ने अभियुक्तों के साथ जाने की कोशिश की थी किंतु उन्होंने अभि. सा. 1 को साथ ले जाने से इनकार कर दिया था । घटना के बारे में सूचित न करना और अपीलार्थी तथा अन्य अभियुक्तों द्वारा अभि. सा. 1 को अस्पताल अपने साथ ले जाने से इनकार करना अपीलार्थी के विरुद्ध प्रबल परिस्थितियां हैं । उपरोक्त पृष्ठभूमि में, उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 13 फरवरी, 2008 के तीसरे मृत्युकालिक कथन के लिए गए अविलंब के न्यायोचित्य की

परीक्षा की जानी है । जैसा कि उल्लेख किया गया है, अभि. सा. 1 के साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि जब वह पहले श्रीनगर के अस्पताल में गई थी, तो उसने पाया कि मृतका को उसके पति और ससुराल वालों द्वारा घेरा हुआ था, जबकि अभि. सा. 1, मृतका की माता को अपनी पुत्री से नहीं मिलने दिया गया । यही वह परिस्थिति है जब तारीख 6 फरवरी, 2008 और 7 फरवरी, 2008 के उक्त कथन अभिलिखित किए गए थे । पहली बात तो यह है कि तारीख 6 फरवरी, 2008 का कथन एक सक्षम प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा अभिलिखित नहीं किया था अपितु तथाकथित पंचायत द्वारा अभियुक्तों की सहायता करने की रीति में अभिलिखित किया गया था । जहां तक तारीख 7 फरवरी, 2008 के मृत्युकालिक कथन का संबंध है, निस्संदेह यह सही है कि यह कथन तहसीलदार को संबोधित एक संसूचना के पश्चात् और डाक्टर द्वारा यह सत्यापन करने के पश्चात् अभिलिखित किया गया था कि मृतका कथन करने के लिए मानसिक रूप से ठीक है । यद्यपि उक्त अपेक्षाओं का समाधान किया गया है, तो भी वे परिवर्ती परिस्थितियां, जिनमें यह कथन अभिलिखित किया गया था, ऐसी थीं जब वह अपने ससुराल वालों के नियंत्रण में थीं । अपीलार्थी द्वारा अवलंब लिए गए इन कथनों से न्यायालय का विश्वास प्रेरित नहीं होता है । इसके अतिरिक्त, यह ध्यान में रखने वाली बात है कि ये कथन प्रश्न और उत्तर के रूप में हैं, जो उस रीति पर निर्भर करते हुए जिसमें प्रश्न पूछे गए थे, संदर्भ के भी प्रतिकूल हो सकते थे । जैसा कि अभि. सा. 1, मृतका की माता के साक्ष्य में पाया गया है, जब मृतका को दून अस्पताल में स्थानांतरित किया गया था, तब उसे मृतका के साथ जाने नहीं दिया गया था । तथापि, वह बाद में वहां गई और अपनी पुत्री से मिल सकी और उस परिस्थिति में घटना से लगभग एक सप्ताह के पश्चात् तारीख 13 फरवरी, 2008 को डाक्टर द्वारा मृतका के बारे में यह सत्यापन करने के पश्चात् कि वह होश में है और कथन करने के लिए उपयुक्त हालत में है, उसका कथन अभिलिखित किया गया था । उक्त कथन में घटना का और जिस रीति में घटना घटी थी, उसका उल्लेख किया गया है । इस कथन की सत्यता का सूचक यह है कि मृतका ने केवल अपीलार्थी

अर्थात् सास के बारे में उल्लेख किया है, जो उस पर मिट्टी का तेल छिड़कने और आग लगाने के कृत्य में अंतर्ग्रस्त थी । उसने अपने पति को आलिप्त नहीं किया था और न ही अपने ससुर को, जो मकान में तो था, किंतु यह कथन किया गया है कि उसका ससुर एक अन्य कमरे में मृतका की पुत्री को अपनी गोदी में लेकर बैठा हुआ था और वास्तव में यह कथन किया गया है कि जब वह चीखने लगी तो उसका ससुर वहां आया और उसने आग बुझाई थी । यदि यह मिथ्या फंसाए जाने का मामला होता तो मृतका के लिए कोई कारण नहीं था कि वह, जहां तक मृत्यु कारित करने का संबंध है, परिवार के अन्य सदस्यों को नामित किए बिना इतना विनिर्दिष्ट कथन करती, जबकि वे सभी दहेज की मांग करने के कृत्य में अंतर्वलित थे और वह पहले से उनके द्वारा तंग किए जाने के बारे में शिकायत कर रही थी । ऐसी परिस्थिति में, तारीख 13 फरवरी, 2008 के मृत्युकालिक कथन का लिया गया अवलंब न्यायोचित्य है । उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात् दंडादेश की मात्रा पर विचार करने की आवश्यकता है । उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड सहिंता की धारा 304ख के अधीन दोषसिद्ध करके आजीवन कारावास दिया है । उपबंधित न्यूनतम दंडादेश सात वर्ष है किंतु यह आजीवन कारावास तक हो सकता है । प्रस्तुत मामले में अपीलार्थी की आयु को और उस योगदान को भी ध्यान में रखते हुए जो उसके द्वारा परिवार को दिया जाना आवश्यक है, जबकि पति भी वृद्ध है और सभी अन्य परिस्थितियों पर भी विचार करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को दिए गए दंडादेश को उपांतरित किया जाना चाहिए । परिणामत: उच्च न्यायालय द्वारा अपने तारीख 29 जून, 2017 के निर्णय द्वारा अपीलार्थी की भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख और धारा 498क के अधीन दोषसिद्धि को कायम रखा जाता है और इसकी अभिपुष्टि की जाती है । उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 10 जुलाई, 2017 के अपने आदेश द्वारा आदेशित दंडादेश उपांतरित किया जाता है और आजीवन कारावास के दंडादेश को परिवर्तित करके अपीलार्थी को सात वर्ष की अवधि का कठोर कारावास भुगतने का आदेश दिया जाता है, जिसमें अपीलार्थी द्वारा पहले ही भुगत ली गई दंडादेश की अवधि भी सम्मिलित

होगी । जो जुर्माना और व्यतिक्रम करने पर दंडादेश अधिरोपित किया गया है, उसे कायम रखा जाता है । (पैरा 19, 20, 21, 24 और 25)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2015]	(2015) 1 एस. सी. सी. 323 : **कर्नाटक राज्य** बनाम **सुवर्णम्मा और एक अन्य अन्य** ;	23
[2013]	(2013) 2 एस. सी. सी. 224 : **आशाबाई और एक अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ;	9, 22
[2011]	(2011) 11 एस. सी. सी. 733 : **संजय कुमार जैन** बनाम **दिल्ली राज्य** ;	9
[2004]	(2004) 10 एस. सी. सी. 769 : **नल्लम वीरा सत्यनंदम और अन्य** बनाम **लोक अभियोजक, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय** ;	22
[1994]	(1994) 6 एस. सी. सी. 727 : **हेम चंद** बनाम **हरियाणा राज्य** ;	24
[1991]	ए. आई. आर. 1991 एस. सी. 1226 : **श्रीमती शांति और एक अन्य** बनाम **हरियाणा राज्य** ।	6

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2019 की दांडिक अपील सं. 724.

2010 की सरकारी अपील सं. 42 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल के तारीख 29 जून, 2017 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री आकाश सिरोही, इंदिरा लाल और एम. पी. शोरावाला

प्रत्यर्थियों की ओर से डा. राजीव नंदा और मनीष कुमार विक्की

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना ने दिया ।

न्या. बोपन्ना – यह अपील अपीलार्थी द्वारा 2010 की सरकारी अपील सं. 42 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा तारीख 29 जून, 2017 और 10 जुलाई, 2017 को पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और अंतिम आदेश को चुनौती देते हुए फाइल की गई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी द्वारा फाइल की गई अपील मंजूर की गई और विचारण न्यायालय द्वारा पारित की गई अपीलार्थी की दोषमुक्ति को अपास्त कर दिया और अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख और 498क के अधीन आरोपों के लिए दोषसिद्ध किया ।

2. संक्षेप में अभियोजन का पथकथन यह है कि मृतका/उर्मिला **उर्फ** गुड्डी और प्रोफार्मा प्रत्यर्थी सं. 3/जगदीश सिंह के बीच विचार चार वर्ष पहले अनुष्ठापित हुआ था । विवाह के समय मृतका के माता-पिता द्वारा अपनी वित्तीय हैसियत के अनुसार दहेज दिया गया था; इसके बावजूद मृतका के पति के पति और ससुराल वाले संतुष्ट नहीं थे । जब कभी मृतका अपने माता-पिता के घर आती थी, वह अपने पति, ससुर, सास अर्थात् अपीलार्थी/कश्मीरा देवी, पति के भाई और भाई की पत्नी द्वारा दहेज की मांग को पूरा न करने के लिए तंग करने और निर्दयतापूर्वक पिटाई करने के बारे में अभि. सा. 1/राजेश्वरी/मृतका की माता को शिकायत करती रहती थी । नवंबर, 2007 में, अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा मृतका को बुरी तरह से पीटा गया और तंग किया गया । अपने ससुराल वालों के दुर्व्यवहार के कारण वह अपने माता-पिता के घर आ गई । अभि. सा. 1 और उसके पति/अभि. सा. 3 ने उसे तारीख 2 फरवरी, 2008 को यह कहते हुए वापस दांपत्य-गृह में भेज दिया कि वे बहुत गरीब हैं और अभियुक्त व्यक्तियों की मांगों को पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं । तारीख 8 फरवरी, 2008 को अभि. सा. 1 को ग्रामवासियों के बीच फैले इस समाचार के माध्यम से यह जानकारी

मिली कि मृतका को जला दिया गया है, उसके पश्चात् उसने घटना के बारे में पूछताछ करने के लिए अपनी पुत्री के ससुराल वालों को फोन किया, तब प्रोफार्मा प्रत्यर्थी सं. 3 द्वारा उसे यह बताया गया कि वह स्टोव फटने के कारण जल गई है । अभि. सा. 1 अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ तुरंत मृतका की हालत को देखने के लिए बेस अस्पताल पहुंची और इस बारे में पूछताछ करने पर कि उसकी पुत्री कैसे जल गई, अभियुक्त व्यक्तियों ने संतोषजनक उत्तर देने के बजाय, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया और उन्हें धमकी देने लगे और मृतका को भी यह कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा पूछताछ करने पर वह यह कहे कि वह स्टोव से जल गई है । तारीख 14 फरवरी, 2008 को मृतका की उसकी क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई । तारीख 15 फरवरी, 2008 को अभि. सा. 1/राजेश्वरी/मृतका की माता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के अधीन एक आवेदन फाइल किया ।

3. प्रति. सा. 1/दर्शना देवी द्वारा दुर्घटना के पश्चात् पहले दिन मृतका का कथन अभिलिखित किया गया था, जिसमें मृतका ने यह कथन किया कि अचानक स्टोव फटा, तेल बिखरा और आग लग गई । उसने यह भी कथन किया था कि दुर्घटना के लिए कोई उत्तरदायी नहीं है । तारीख 7 फरवरी, 2008 को तहसीलदार द्वारा द्वितीय मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किया गया, जिसमें उसने यह कथन किया कि स्टोव फटा और उसकी साड़ी में आग लग गई । अंतिम मृत्युकालिक कथन तारीख 13 फरवरी, 2008 को अभि. सा. 5/शिशपाल सिंह/अपर तहसीलदार द्वारा अभिलिखित किया गया था, जिसमें मृतका ने यह कथन किया कि उसके और उसकी सास/अपीलार्थी के बीच झगड़ा हुआ था और झगड़े के दौरान उसकी सास ने उसे आग लगा दी थी और किसी अन्य की कोई अंतर्ग्रस्तता नहीं थी ।

4. अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध तारीख 29 फरवरी, 2008 को 2008 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 2 रजिस्ट्रीकृत की गई । अपराध का अन्वेषण अभि. सा. 8 द्वारा संभाला गया था, जिसने घटनास्थल से वस्त्र और स्टोव बरामद किए थे । मृतका का शव मरणोत्तर परीक्षा के

लिए अस्पताल भेजा गया था और मरणोत्तर परीक्षा अभि. सा. 6/डा. आर. के. टमटा द्वारा की गई थी तथा उसने मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट में यह उल्लेख किया कि सिर, चेहरे, गर्दन, छाती, दाएं और बाएं हाथ सहित सामने और पीछे की तरफ शरीर के लगभग 55 प्रतिशत भाग पर गंभीर दाह क्षतियां मौजूद हैं । शव का आंतरिक परीक्षण करने पर यह पाया गया था कि सिर की झिल्लियां संकुचित थीं । उसकी राय में, मृत्यु का कारण मृत्यु-पूर्व की दाह क्षतियों की वजह से हुआ रक्तविषायन था । अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख और 498क के अधीन आरोप पत्र फाइल किया गया । अपीलार्थी ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त की दोषिता को सिद्ध करने के लिए कुल नौ साक्षियों की परीक्षा की और अभियुक्त ने दो साक्षियों को पेश किया ।

5. विचारण न्यायालय ने साक्ष्य पर विचार करने के उपरांत अपीलार्थी और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख और 498क के अधीन आरोपों के लिए यह उल्लेख करते हुए दोषमुक्त कर दिया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध मामले को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है । विचारण न्यायालय ने यह उल्लेख किया कि तारीख 7 फरवरी, 2008 को थाना अधिकारी के आवेदन पर तहसीलदार द्वारा मृतका का मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किया गया था किंतु अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त मृत्युकालिक कथन को साबित नहीं किया गया है । न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि मृतका के तीन मृत्युकालिक कथन हैं । इसलिए मृत्युकालिक कथन संदिग्ध बन गए हैं । यह अभिनिर्धारित किया गया कि घटना के समय मृतका के केवल सास और ससुर घर पर थे और परिवार का कोई अन्य सदस्य घर पर मौजूद नहीं था । अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा किए गए सभी साक्षी मृतका के माता-पिता के स्थान के हैं, किंतु घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे । प्रति. सा. 2/दलबीर सिंह घटनास्थल पर का साक्षी है, किंतु अभियोजन पक्ष द्वारा उसकी परीक्षा नहीं कराई गई और बल्कि प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा

उसकी परीक्षा कराई गई है, जिसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि मृतका को स्टोव से आग लगी थी । जहां तक दहेज के प्रश्न का संबंध है, मृतका के माता-पिता द्वारा इस बाबत कभी पहले कोई शिकायत फाइल नहीं की गई थी । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के संबंध में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभि. सा. 1 के पिता के कहने पर काफी विलंब से और विधिक परामर्श लेकर विचार-विमर्श करने के पश्चात् दर्ज की गई थी । अन्वेषक अधिकारी ने घटनास्थल के स्थल नक्शे में यह दिखाया है कि स्टोव से साड़ी को आग लगी थी ।

6. तारीख 25 फरवरी, 2010 के निर्णय से व्यथित होकर उत्तराखंड राज्य द्वारा अपील फाइल की गई, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश को अपास्त कर दिया और अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के साथ पठित धारा 304ख के अधीन दोषसिद्ध किया और उसे धारा 304ख के अधीन अपराध के लिए आजीवन कारावास भुगतने और दस हजार रुपए के जुर्माने का संदाय करने तथा जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर छह माह का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया । तथापि, **श्रीमती शांति और एक अन्य** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामले के निर्णय को ध्यान में रखते हुए यद्यपि अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अधीन दोषसिद्ध तो किया गया, तो भी तथ्य को देखते कोई अलग दंडादेश नहीं दिया गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन मुख्य अपराध के लिए पर्याप्त दंडादेश दिया गया है ।

7. उच्च न्यायालय ने यह पाया कि मृतका का कथन पहले तारीख 6 फरवरी, 2008 को अभिलिखित किया गया था, जिसमें उसने यह अभिसाक्ष्य दिया था कि अचानक स्टोव फटा, तेल बिखरा और आग लग गई । उसने यह भी कथन दिया कि घटना के लिए कोई उत्तरदायी नहीं है । इस कथन पर ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए

---

[1] ए. आई. आर. 1991 एस. सी. 1226.

थे, किंतु उनकी परीक्षा नहीं की गई थी । यद्यपि प्रतिरक्षा साक्षी-1 की परीक्षा की गई थी, तो भी उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया था कि वह नहीं जानती कि तारीख 6 फरवरी, 2008 को यह कथन प्रदर्श बी-1 किसने लिखा था । न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यह दस्तावेज विश्वासोत्पादक नहीं है । द्वितीय कथन तारीख 7 फरवरी, 2008 को तहसीलदार द्वारा अभिलिखित किया गया था और उसमें भी उसने यह कथन किया था कि स्टोव फटा और उसकी साड़ी में आग लग गई । उसके इस कथन पर दाएं हाथ के अंगूठे की छाप लगाई है । अंतिम कथन तारीख 13 फरवरी, 2008 को अभि. सा. 5 द्वारा अभिलिखित किया गया था । मृतका की मृत्यु दाह क्षतियों के कारण हुई थी, जिनका सत्यापन डाक्टर द्वारा किया गया है । न्यायालय ने यह भी पाया कि तारीख 13 फरवरी, 2008 को किया गया मृत्युकालिक कथन स्वाभाविक, स्वैच्छिक और किसी प्रभाव रहित है । जब तारीख 6 फरवरी, 2008 और 7 फरवरी, 2008 को कथन अभिलिखित किए गए थे, तब कमरे में अभियुक्त व्यक्ति मौजूद थे । तथापि, तारीख 13 फरवरी, 2008 को मृतका के माता-पिता भी वहां थे और उसने किसी भय के बिना कथन किया था । मृतका ने अपीलार्थी के विरुद्ध विनिर्दिष्ट अभिकथन किया था, जिसे सिखाया-पढ़ाया गया नहीं कहा जा सकता है । इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यदि मृतका की अस्वाभाविक मृत्यु नहीं हुई होती तो यह प्रत्याशा की जा सकती थी कि ससुराल वाले मृतका के माता-पिता को सूचित करते, जो कि इस मामले में नहीं किया गया था । जहां तक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में विलंब का संबंध है, न्यायालय ने यह राय त्यक्त की कि परिवार के सदस्यों की सर्वप्रथम चिंता प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय मृतका की देखभाल करनी थी । जब तारीख 14 फरवरी, 2008 को मृतका की मृत्यु हुई थी, उसके तुरंत पश्चात् तारीख 15 फरवरी, 2008 को शिकायत दर्ज की गई थी और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई थी । इस प्रकार, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट फाइल करने में कोई अत्यधिक विलंब नहीं हुआ था । अभि. सा. 9 ने यह अभिसाक्ष्य

दिया था कि स्टोव फटा नहीं था और इसे कब्जे में लिया गया था । दहेज की मांग, जिसके लिए मृतका को उसके ससुराल वालों द्वारा तंग किया गया था और यातना दी गई थी तथा उसकी मृत्यु के बीच निकट सामीप्य है । इन निष्कर्षों के साथ उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी द्वारा फाइल की गई अपील मंजूर की और विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के आदेश को अपास्त कर दिया तथा उन्हें दोषसिद्ध किया ।

8. हमारे समक्ष अपील में अपीलार्थी ने यह दलील दी कि उच्च न्यायालय ने इस बात की उपेक्षा करके गलती की कि अभियोजन पक्ष दुर्घटनावश मृत्यु होने की संभाव्यता को नकारने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत करने में असफल रहा था, जिससे कि इस मृत्यु को भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन अपेक्षित अनुसार "सामान्य परिस्थितियों में भिन्न परिस्थितियों में हुई मृत्यु" की परिधि में लाया जा सके और इस तथ्य को भी सिद्ध करने में असफल रहा था कि घटना से कुछ पूर्व दहेज की मांग के संबंध में क्रूरता की गई थी/तंग किया गया था तथा दहेज की अस्तित्वशील मांग के किसी विश्वसनीय साक्ष्य को अभिलेख पर नहीं लाया गया था । इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की भी उपेक्षा करके गलती की थी कि मृतका के माता-पिता ने कभी पुलिस को या स्थानीय बुजुर्गों को यह सूचित करने का प्रयत्न नहीं किया गया था कि दहेज की मांग की जा रही है और वास्तविकता यह है कि दहेज के संबंध में अभिकथन पहली बार तारीख 15 फरवरी, 2008 को किए गए थे, जबकि घटना तारीख 6 फरवरी, 2008 को घटी थी । अपीलार्थी द्वारा यह भी दलील दी गई है कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की दोषमुक्ति के निर्णय को उलटकर और दोषसिद्ध करके गलती की है, यद्यपि दोषमुक्ति युक्तियुक्त और विश्वसनीय आधारों पर टिकी थी तथा अभिलेख पर लाए गए साक्ष्यों और अभियोजन साक्ष्यों की विश्वसनीयता की उपेक्षा की गई थी । अपीलार्थी द्वारा यह भी दलील दी गई है कि उच्च न्यायालय ने मृतका के तीन मृत्युकालिक कथनों पर उन्हें अलग-थलग करके अवलंब लेकर गलती की थी और इस संभाव्यता पर विचार करने में असफल रहा था कि मृतका का तीसरा मृत्युकालिक

कथन उसके माता-पिता द्वारा किए गए मनोमार्जन का परिणाम था । अपीलार्थी की यह दलील है कि उच्च न्यायालय द्वारा धारा 304-क और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख के अधीन उद्भूत उपधारणा के अधीन कार्यवाही करते हुए मामले को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख की व्याप्ति के अधीन लाकर गलती की गई थी ।

9. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी द्वारा फाइल किए गए प्रति-शपथपत्र में यह निवेदन किया कि उच्च न्यायालय ने मृतका के तारीख 13 फरवरी, 2008 को किए गए उस कथन का उचित रूप से मूल्यांकन किया था, जिसमें मृतका ने अभियोजन के पक्षकथन के साथ-साथ अभि. सा. 5 के साक्ष्य का समर्थन किया है और तद्नुसार अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख और 498क के अधीन यह उल्लेख करते हुए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया कि मृत्युकालिक कथन अन्य संपुष्टिकारी साक्ष्य के अभाव में भी स्वीकार्य है । यह भी निवेदन किया गया कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को धारा 304ख के अधीन दोषसिद्धि करने से पूर्व **संजय कुमार जैन** बनाम **दिल्ली राज्य**[1] वाले मामले में के निर्णय का अवलंब लेकर धारा 304ख और साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख की परियोज्यता पर चर्चा करते हुए विधि की सही स्थिति लागू की थी और यह अभिनिर्धारित किया था कि मृतका की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई थी और अपर्याप्त दहेज लाने के कारण उसके पति और नातेदारों द्वारा उसके साथ क्रूरता की गई थी और तंग किया गया था और यह अभिनिर्धारित करके सही किया था कि अपीलार्थी सहित अभियुक्त व्यक्ति साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख के अधीन उपधारणा का खंडन करने में असफल रहे थे । प्रत्यर्थियों द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के अभिसाक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह तथ्य सिद्ध होता है कि अपर्याप्त दहेज लाने के लिए मृतका के साथ उसके ससुराल वालों द्वारा क्रूरता की गई थी और विभिन्न अवसरों पर उसने अपने माता-पिता को इस बारे में

---

[1] (2011) 11 एस. सी. सी. 733.

बताया था । मृत्युकालिक कथन की दलील पर यह निवेदन किया गया है कि उच्च न्यायालय ने **आशाबाई और एक अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में के निर्णय के विनिश्चयाधार का अवलंब लेते हुए ठीक ही यह अभिनिर्धारित किया था कि प्रत्येक मृत्युकालिक कथन का निर्धारण करने के पश्चात् केवल तारीख 13 फरवरी, 2008 को किया गया मृत्युकालिक कथन विश्वसनीय पाया गया है, उस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब एक से अधिक मृत्युकालिक कथन हों, तब प्रत्येक मृत्युकालिक कथन का स्वतंत्र रूप से उसके स्वयं के गुणागुण के आधार पर साक्ष्यिक महत्व के रूप में निर्धारण किया जाना चाहिए और किसी एक को दूसरे अन्य कथन में कतिपय फेरफारों के कारण ही नामंजूर नहीं किया जा सकता है । आगे यह भी निवेदन किया गया है कि उच्च न्यायालय ने ठीक ही यह अभिनिर्धारित किया था कि अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को अभिलेख पर की सामग्री और तात्विक साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया है । प्रत्यर्थियों ने यह भी निवेदन किया है कि प्रस्तुत मामले में विचारण न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्तियों को किसी तर्कपूर्ण कारण के बिना दोषमुक्त किया था और उच्च न्यायालय ने प्रथम अपील न्यायालय के रूप में साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन और समीक्षा की थी और एक अति-सकारण निर्णय पारित किया था, जिसके द्वारा अपीलार्थी को समुचित रूप से दोषसिद्ध किया गया था ।

10. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री आकाश सिरोही और प्रत्यर्थी राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल डा. राजीव नंदा को सुना और अपील के कागजातों का परिशीलन किया ।

11. जैसा कि उल्लेख किया गया है, विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा 2008 के सेशन विचारण सं. 13 में तारीख 25 मार्च, 2010 के निर्णय द्वारा इस अपील में अपीलार्थी और अन्य सह अभियुक्तों को उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख और 498क के अधीन

---

[1] (2013) 2 एस. सी. सी. 224.

लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया था । उच्च न्यायालय ने साक्ष्यों का पुन: मूल्यांकन करने और मामले पर समग्र रूप से विचार करने के पश्चात् मृतका के पति जगदीश सिंह और मृतका के ससुर और देवर गोविंद सिंह और महेन्द्र सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अधीन दोषसिद्ध किया । अपीलार्थी कश्मीरा देवी, मृतका की सास को भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन दोषसिद्ध किया गया और आजीवन कारावास भुगतने तथा दस हजार रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर छह माह का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है । भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि के लिए अलग से कोई दंडादेश अधिनिर्णीत नहीं किया गया है । उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष पर पहुंचते समय अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य के अतिरिक्त तारीख 13 फरवरी, 2008 को अभिलिखित किए गए मृत्युकालिक कथन को भी निर्दिष्ट किया । उक्त मृत्युकालिक कथन में मृतका उर्मिला **उर्फ** गुड्डी ने यह कथन किया था कि अपीलार्थी, उसकी सास कमरे में गई और उसके साथ झगड़ा करने लगी । उसने कमरे में रखी मिट्टी के तेल की बोतल उसके वस्त्रों पर छिड़क दी और उसके साथ झगड़ा करने लगी और उसी समय के दौरान उसने उसे आग लगा दी । दहेज की मांग, जिसके लिए अन्य अभियुक्त भी पक्षकार थे, के संबंध में अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य में जहां तक मृत्यु कारित करने का संबंध है, उसके आलोक में, मृतका ने अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध मृत्यु के संबंध में कोई अभिकथन नहीं किए थे । सभी अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अधीन दोषसिद्ध किया गया था और अपीलार्थी को धारा 304ख के अधीन भी दोषसिद्ध किया गया था, चूंकि मृतका ने उसको अपनी मृत्यु के लिए उत्तरदायी ठहराया था ।

12. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय को प्रश्नगत करते हुए सेशन न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय को निर्दिष्ट किया, जिसमें सेशन न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध इसी साक्ष्य के आधार इस निष्कर्ष पर

पहुंचा था कि अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं हुआ है । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी कि उच्च न्यायालय ने तारीख 6 फरवरी, 2008 और 7 फरवरी, 2008 के पहले दो मृत्युकालिक कथनों को त्यक्त करके गंभीर गलती कारित की है, जिनमें मृतका ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया था कि अपीलार्थी और न ही उसके परिवार के सदस्य उत्तरदायी हैं, अपितु स्टोव फट जाने के कारण यह एक दुर्घटना थी । इस आलोक में यह दलील दी गई कि तारीख 13 फरवरी, 2008 का मृत्युकालिक कथन विश्वसनीय नहीं है और उसे त्यक्त किया जाना चाहिए था । यही दलील दी गई है कि तारीख 7 फरवरी, 2008 का मृत्युकालिक कथन प्रक्रिया के अनुसार किए गए अनुरोध पर तहसीलदार द्वारा अभिलिखित किया गया था । अत: यह दलील दी गई है कि उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया यह दृष्टिकोण गलत था और उसके निर्णय को अपास्त किया जाना चाहिए और सेशन न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय को प्रत्यावर्तित किया जाना चाहिए ।

13. तथापि, राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय को बनाए रखने की ईप्सा की । यह दलील दी गई है कि सेशन न्यायालय वास्तव में अचानक विषय को बदलकर अग्रसर हुआ और एक गलत निष्कर्ष पर पहुंचा, जो कि सुस्थिर विधिक स्थिति के प्रतिकूल है । प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार एक लगभग 22 वर्षीया युवती की दहेज की मांग पूरी न करने के कारण हत्या कर दी गई थी । घटना विवाह की तारीख से सात वर्ष की कानूनी अवधि के भीतर घटी थी और मृत्यु के कुछ पूर्व दहेज के लिए मांग को उपदर्शित करने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं । इस परिस्थिति में जब मृत्यु हुई थी, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख और साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख के अधीन अनुध्यात अनुसार एक उपधारणा उद्भूत हुई थी । इसलिए, संघटकों का समाधान किया था और यह भार अपीलार्थी पर था कि वह उपधारणा का खंडन करे, जो ऐसा करने में असफल रही और इस परिस्थिति में उच्च न्यायालय विधिक

स्थिति और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को विस्तार से निर्दिष्ट करने के पश्चात् अपने निष्कर्ष पर पहुंचा था, जिसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है ।

14. प्रस्तुत मामले में निर्विवाद स्थिति यह है कि मृतका उर्मिला **उर्फ** गुड्डी का विवाह अभियुक्तों में से एक जगदीश सिंह के साथ हुआ था । विवाह घटना, जो तारीख 6 फरवरी, 2008 को घटी थी, की तारीख से लगभग चार वर्ष पूर्व हुआ था और मृत्यु तारीख 14 फरवरी, 2008 को हुई थी । चूंकि अभियुक्तों के विरुद्ध शिकायत दहेज की मांग के लिए थी और मृत्यु दहेज की मांग को पूरा न करने के कारण हुई थी, इसलिए प्रारंभ में उस घटना-क्रम पर विचार किया जाना है, जिसमें दहेज की मांग की गई थी तथा मृत्यु हुई थी । इस बाबत मृतका की माता राजेश्वरी देवी की अभि. सा. 1 के रूप में परीक्षा की गई थी । उसने विवाह के बारे में कथन किया था और यह कहा था कि उसकी पुत्री को अपर्याप्त दहेज लाने के लिए उसके ससुराल वालों द्वारा तंग किया जा रहा था । जो वस्तुएं विवाह के समय दी गईं थीं, उनका भी उल्लेख किया गया था और उसके द्वारा यह कथन किया गया था कि उसका पति और ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे थे । मृतका का पिता दिल्ली में कार्यरत था और इसलिए मृतका की माता ने मांग के बारे में सूचित किया था । वह कई दिनों के पश्चात् दिल्ली से गांव लौटा और अपनी पुत्री उर्मिला के साथ उसकी ससुराल गया । जो घटनाएं घटित हुईं थीं, उनका उल्लेख किया गया है और पुत्री की पिटाई करने और आंख में क्षति पहुंचाने का भी उल्लेख किया गया है । उसके तुरंत पश्चात् तारीख 6 फरवरी, 2008 को मृतका की माता को अन्य ग्रामवासियों से सुना कि उसकी पुत्री जल गई है । उसके पश्चात् यद्यपि वह बेस अस्पताल, श्रीनगर गई और अपनी पुत्री को देखा, किंतु उसे तब अपनी पुत्री के साथ नहीं जाने दिया गया जब उसे उक्त अस्पताल से देहरादून में दून अस्पताल में स्थानांतरित किया गया था ।

15. उस परिस्थिति में वह उसके पश्चात् अपने पति के पहुंचने के बाद उस स्थान पर गई । उसने यह कथन किया था कि जब वह आरंभ

में श्रीनगर के अस्पताल गई थी, उसकी पुत्री को अभियुक्त व्यक्ति चारों ओर से घेरे हुए थे और अभि. सा. 1, माता को बात नहीं करने दे रहे थे । तथापि, बाद में जब वह तारीख 13 फरवरी, 2008 को अपनी पुत्री के पास गई, तो वह अपनी पुत्री से मिल सकी और उसने उस प्रक्रम पर उसे यह बताया कि उसकी मृत्यु के लिए उसकी सास उत्तरदायी है । क्योंकि उसने उस पर मिट्टी का तेल डाल दिया था और उसे आग लगा दी थी । मृतका के पिता की अभि. सा. 3 के रूप में परीक्षा की गई थी और उसने भी इस संबंध में अभि. सा. 1 माता के बयान की संपुष्टि करने वाली रीति में कथन किया था । अभि. सा. 2, भीम राज सिंह, जिसकी चाचा होने के नाते एक साक्षी के रूप में परीक्षा की गई थी, जिसने कथन किया था कि अभि. सा. 1 ने उसे मृतका के ससुराल वालों द्वारा दहेज की मांग करने के लिए मृतका को तंग करने और अंततोगत्वा उसकी मृत्यु के बारे में बताया था । उसने यह कथन किया कि जब कभी मृतका घर आती थी, वह अपने ससुराल वालों के बारे में शिकायत करती रहती थी । अभि. सा. 4, गीता देवी, मृतका की एक घनिष्ठ नातेदार ने भी इन्हीं शब्दों में कथन किया है । अभि. सा. 1 से अभि. सा. 4 के साक्ष्य से यह उपदर्शित होता है कि इससे न केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 498क, जहां दहेज की मांग की गई थी, के संघटक सिद्ध होते हैं, अपितु मृतका की मृत्यु से कुछ पूर्व उसके साथ की गई क्रूरता और उसे तंग करने और यह क्रूरता और तंगीकरण दहेज की मांग के संबंध में थी, से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के संघटकों का भी समाधान होता है । इसलिए, जहां तक उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अधीन आदेशित दोषसिद्धि का संबंध है, वह न्यायोचित है ।

16. जहां तक मृत्यु हो जाने और अपीलार्थी की भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन दोषसिद्धि का संबंध है, उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध उक्त साक्ष्य के अतिरिक्त तारीख 13 फरवरी, 2008 के मृत्युकालिक कथन का अवलंब लिया है । जैसा कि उल्लेख किया गया है, मृतका उर्मिला **उर्फ** गुड्डी के तीन मृत्युकालिक कथन हैं –

एक तारीख 6 फरवरी, 2008 को प्रति. सा. 1 – दर्शनी देवी, अध्यक्ष, महिला मंगल दल द्वारा अभिलिखित किया गया था; दूसरा तारीख 7 फरवरी, 2008 को तहसीलदार, श्रीनगर द्वारा अभिलिखित किया गया था; और तीसरा तारीख 13 फरवरी, 2008 को अभि. सा. 5 - शिशपाल सिंह रावत, अपर तहसीलदार द्वारा अभिलिखित किया गया था और उस समय उर्मिला के माता-पिता भी आए थे । तारीख 6 फरवरी, 2008 और 7 फरवरी, 2008 को अभिलिखित किए गए मृत्युकालिक कथनों में मृतका उर्मिला ने यह कथन किया था कि स्टोव में अत्यधिक पंप मारने के कारण स्टोव फट गया था और उसे आग लग गई थी तथा दाह-क्षतियां पहुंचीं थीं और उस समय उसका ससुर और सास अर्थात् अभियुक्त द्वितीय मंजिल पर थे । तारीख 13 फरवरी, 2008 को अभिलिखित किए गए मृत्युकालिक कथन में मृतका उर्मिला ने यह कथन किया था कि तारीख 6 फरवरी, 2008 को लगभग 7.00 बजे अपराह्न में अपीलार्थी कश्मीरा देवी, उसकी सास उसके कमरे में आई और उसके साथ झगड़ा करने लगी और उसके पश्चात् उसकी सास ने उसके वस्त्रों पर मिट्टी का तेल छिड़का और उसे आग लगा दी । मृतका ने यह भी कथन किया कि उसकी सास के सिवाय, घटना के लिए कोई और उत्तरदायी नहीं था ।

17. जब तारीख 6 फरवरी, 2008 और 7 फरवरी, 2008 को मृतका उर्मिला के मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किए गए थे, तब कमरे में अभियुक्त मौजूद थे । तथापि, जिस समय तारीख 13 फरवरी, 2008 को तीसरा मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किया गया था, मृतका उर्मिला के माता-पिता आ गए थे और मृतका के अभियुक्तों ने किसी डर के बिना कथन किया था । अगले ही दिन अर्थात् 14 फरवरी, 2008 को मृतका की मृत्यु हो गई थी और तारीख 15 फरवरी, 2008 को मृतका की माता अभि. सा. 1 – राजेश्वरी देवी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रुद्र प्रयाग के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के अधीन एक परिवाद फाइल किया । तारीख 29 फरवरी, 2008 को सभी अभियुक्तों के विरुद्ध 2008 के अपराध मामला सं. 2 में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट

रजिस्ट्रीकृत की गई । चूंकि साक्ष्य में यह आया है कि तारीख 6 फरवरी, 2008 और 7 फरवरी, 2008 को मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने के समय मृतका के ससुराल वाले मौजूद थे, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि ये कथन स्वेच्छापूर्वक और डर के बिना अभिलिखित किए गए थे ।

18. अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 498क और भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख - दहेज मृत्यु के अधीन दोषसिद्ध किया गया है । भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन निम्नलिखित आवश्यक बातों का अवश्य समाधान होना चाहिए :-

(i) किसी स्त्री की मृत्यु अवश्य दाह या शारीरिक क्षति या अन्यथा सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में कारित होनी चाहिए;

(ii) ऐसी मृत्यु अवश्य उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई होनी चाहिए;

(iii) स्त्री की मृत्यु से कुछ वर्ष पूर्व उसके पति द्वारा या उसके पति के नातेदारों द्वारा अवश्य उसके साथ क्रूरता की गई या तंग किया गया होना चाहिए;

(iv) ऐसी क्रूरता या तंग करना अवश्य दहेज की मांग के लिए या दहेज की मांग के संबंध में होना चाहिए;

(v) स्त्री के साथ ऐसी क्रूरता या उसे तंग करना, उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व किया गया दर्शित किया जाना चाहिए; [कंस राज **बनाम** पंजाब राज्य और अन्य (2005) 5 एस. सी. सी. 207 तथा श्रीमती शांति और एक अन्य **बनाम** हरियाणा राज्य (1991) 1 एस. सी. सी. 371 वाले मामले देखें] ।

19. प्रस्तुत मामले में, अभि. सा. 1 - राजेश्वरी देवी, मृतका की माता और अभि. सा. 3 बचन सिंह, मृतका के पिता ने यह कथन किया है कि मृतका उर्मिला को अपर्याप्त दहेज लाने के लिए उसके ससुराल

वालों द्वारा तंग किया गया था । उन्होंने यह भी कथन किया है कि विवाह के पश्चात् जब मृतका अपने माता-पिता के घर आई तो वह शिकायत कर रही थी कि उसका पति और ससुराल वाले जिनमें ससुर, सास और अन्य सम्मिलित हैं, दहेज की मांग कर रहे थे । अभि. सा. 1 ने यह भी कथन किया था कि मृतका उर्मिला की अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा पिटाई की गई थी, जिसके कारण उसकी आंख खराब हो गई थी और उसकी शल्य-क्रिया की गई थी । अभि. सा. 1 ने यह कथन किया कि जब मृतका पुन: तारीख 2 फरवरी, 2008 को अपने माता-पिता के घर वापस गई थी, तो अभि. सा. 1 मृतका को उसकी ससुराल लेकर गई थी, तब उन्हें एक गिलास पानी भी नहीं दिया गया और अभियुक्त व्यक्तियों ने पूछा कि वे अपने साथ क्या लेकर आए हैं । अभि. सा. 1 ने उन्हें बताया कि वे उनकी मांगों को पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं और एक रात ठहरने के पश्चात् तारीख 3 फरवरी, 2008 को अभि. सा. 1 अपने घर लौट आई । अभि. सा. 1 के साक्ष्य से अभियोजन पक्ष ने यह साबित किया है कि "मृत्यु से कुछ पूर्व" मृतका के साथ क्रूरता की गई थी और उसे तंग किया गया था । जब अभियोजन पक्ष ने यह सिद्ध कर दिया है कि मृतका को "मृत्यु से कुछ पूर्व" दहेज के लिए तंग किया गया था और विवाह के सात वर्ष के भीतर मृतका उर्मिला की अस्वाभाविक मृत्यु हुई थी, तब अपीलार्थी के विरुद्ध साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख के अधीन यह उप धारणा की जानी चाहिए कि उसने दहेज मृत्यु कारित की थी । जब एक बार अभियोजन पक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के संघटकों को सिद्ध कर देता है, तो यह भार अभियुक्त पर होता है कि वह इस उप धारणा का खंडन करे । किंतु अभियुक्तों ने इस उपधारणा का खंडन करने के लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है । जब वास्तविक घटना से पूर्व दहेज की मांग के संबंध में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में घटना पर विचार किया जाए, तो घटना के संबंध में प्रति. सा. 1 और प्रति. सा. 2 का साक्ष्य पर्याप्त नहीं है । वास्तव में, जब मृतका को कोटा अस्पताल, श्रीनगर से देहरादून के अस्पताल में स्थानांतरित किया गया था, तब अभि. सा. 1 ने

अभियक्तों के साथ जाने की कोशिश की थी किंतु उन्होंने अभि. सा. 1 को साथ ले जाने से इनकार कर दिया था । घटना के बारे में सूचित न करना और अपीलार्थी तथा अन्य अभियुक्तों द्वारा अभि. सा. 1 को अस्पताल अपने साथ ले जाने से इनकार करना अपीलार्थी के विरुद्ध प्रबल परिस्थितियां हैं ।

20. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 13 फरवरी, 2008 के तीसरे मृत्युकालिक कथन के लिए गए अविलंब के न्यायोचित्य की परीक्षा की जानी है । जैसा कि उल्लेख किया गया है, अभि. सा. 1 के साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि जब वह पहले श्रीनगर के अस्पताल में गई थी, तो उसने पाया कि मृतका को उसके पति और ससुराल वालों द्वारा घेरा हुआ था, जबकि अभि. सा. 1, मृतका की माता को अपनी पुत्री से नहीं मिलने दिया गया । यही वह परिस्थिति है जब तारीख 6 फरवरी, 8 और 7 फरवरी, 2008 के उक्त कथन अभिलिखित किए गए थे । पहली बात तो यह है कि तारीख 6 फरवरी, 2008 का कथन एक सक्षम प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा अभिलिखित नहीं किया था अपितु तथाकथित पंचायत द्वारा अभियुक्तों की सहायता करने की रीति में अभिलिखित किया गया था । जहां तक तारीख 7 फरवरी, 2008 के मृत्युकालिक कथन का संबंध है, निस्संदेह यह सही है कि यह कथन तहसीलदार को संबोधित एक संसूचना के पश्चात् और डाक्टर द्वारा यह सत्यापन करने के पश्चात् अभिलिखित किया गया था कि मृतका कथन करने के लिए मानसिक रूप से ठीक है । यद्यपि उक्त अपेक्षाओं का समाधान किया गया है, तो भी वे परिवर्ती परिस्थितियां, जिनमें यह कथन अभिलिखित किया गया था, ऐसी थीं जब वह अपने ससुराल वालों के नियंत्रण में थीं । अपीलार्थी द्वारा अवलंब लिए गए इन कथनों से न्यायालय का विश्वास प्रेरित नहीं होता है । इसके अतिरिक्त, यह ध्यान में रखने वाली बात है कि ये कथन प्रश्न और उत्तर के रूप में हैं, जो उस रीति पर निर्भर करते हुए जिसमें प्रश्न पूछे गए थे, संदर्भ के भी प्रतिकूल हो सकते थे ।

21. जैसा कि अभि. सा. 1, मृतका की माता के साक्ष्य में पाया

गया है, जब मृतका को दून अस्पताल में स्थानांतरित किया गया था, तब उसे मृतका के साथ जाने नहीं दिया गया था । तथापि, वह बाद में वहां गई और अपनी पुत्री से मिल सकी और उस परिस्थिति में घटना से लगभग एक सप्ताह के पश्चात् तारीख 13 फरवरी, 2008 को डाक्टर द्वारा मृतका के बारे में यह सत्यापन करने के पश्चात् कि वह होश में है और कथन करने के लिए उपयुक्त हालत में है, उसका कथन अभिलिखित किया गया था । उक्त कथन में घटना का और जिस रीति में घटना घटी थी, उसका उल्लेख किया गया है । इस कथन की सत्यता का सूचक यह है कि मृतका ने केवल अपीलार्थी अर्थात् सास के बारे में उल्लेख किया है, जो उस पर मिट्टी का तेल छिड़कने और आग लगाने के कृत्य में अंतर्ग्रस्त थी । उसने अपने पति को आलिप्त नहीं किया था और न ही अपने ससुर को, जो मकान में तो था, किंतु यह कथन किया गया है कि उसका ससुर एक अन्य कमरे में मृतका की पुत्री को अपनी गोदी में लेकर बैठा हुआ था और वास्तव में यह कथन किया गया है कि जब वह चीखने लगी तो उसका ससुर वहां आया और उसने आग बुझाई थी । यदि यह मिथ्या फंसाए जाने का मामला होता तो मृतका के लिए कोई कारण नहीं था कि वह, जहां तक मृत्यु कारित करने का संबंध है, परिवार के अन्य सदस्यों को नामित किए बिना इतना विनिर्दिष्ट कथन करती, जबकि वे सभी दहेज की मांग करने के कृत्य में अंतर्वलित थे और वह पहले से उनके द्वारा तंग किए जाने के बारे में शिकायत कर रही थी । ऐसी परिस्थिति में, तारीख 13 फरवरी, 2008 के मृत्युकालिक कथन का लिया गया अवलंब न्यायोचित्य है ।

22. ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचते समय उच्च न्यायालय ने **नल्लम वीरा सत्यनंदम और अन्य** बनाम **लोक अभियोजक, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय को ध्यान में रखा है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रत्येक मृत्युकालिक कथन पर स्वतंत्र रूप से इसके स्वयं के गुणागुण के आधार पर इसके

---

[1] (2004) 10 एस. सी. सी. 769.

साक्ष्यिक महत्व के बारे में विचार किया जाना चाहिए और एक कथन को दूसरे की अंतर्वस्तुओं के कारण नामंजूर नहीं किया जा सकता है । इस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय को उनमें से प्रत्येक पर इसके सही परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाना चाहिए और अपना यह समाधान करना चाहिए कि उनमें से किस एक से सही वस्तुस्थिति प्रतिबिंबित होती है । इसमें ऊपर किए गए विचार से यह भी उपदर्शित होता है कि स्वतंत्र रूप से विचार करने पर तारीख 13 फरवरी, 2008 का मृत्युकालिक कथन उल्लिखित कारणों से विश्वसनीय है । उच्च न्यायालय ने इस आशय के **आशाबाई और एक अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के एक अन्य विनिश्चय का भी अवलंब लिया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब कई सारे मृत्युकालिक कथन हों, तो प्रत्येक मृत्युकालिक कथन का अलग से निर्धारण किया जाना चाहिए और इसके स्वयं के गुणागुण के आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए ।

23. उच्च न्यायालय ने **कर्नाटक राज्य** बनाम **सुवर्णम्मा और एक अन्य**[2] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का भी उल्लेख किया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया गया मृत्युकालिक कथन अभिलेख पर की परिस्थितियों के संगत था और मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किए गए कथनों को संगत नहीं पाया गया था । उक्त विनिश्चय को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यद्यपि तारीख 7 फरवरी, 2008 का मृत्युकालिक कथन तहसीलदार द्वारा अभिलिखित किया गया था, तो भी जिन परिस्थितियों में यह कथन अभिलिखित किया गया था, उन पर हमारे द्वारा विचार किया गया है । इसके अतिरिक्त, तारीख 13 फरवरी, 2008 का मृत्युकालिक कथन अपर तहसीलदार श्री शिशपाल सिंह द्वारा अभिलिखित किया गया था, जिसकी अभि. सा. 5 के रूप में परीक्षा की गई थी । उसने अस्पताल से प्राप्त

---

[1] (2013) 2 एस. सी. सी. 224.

[2] (2015) 1 एस. सी. सी. 323.

हुए ज्ञापन के विषय में कथन किया और चिकित्सा अधिकारी से मिलने के पश्चात् उसने मृतका का कथन अभिलिखित किया था, जो दाह-क्षतियों के साथ आपातकालीन वार्ड में पड़ी हुई थी । अत:, इस प्रकार अभिलिखित किए गए मृत्युकालिक कथन की विधिमान्यता सिद्ध हो जाती है । इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय ने इस विषय पर विभिन्न अन्य विनिश्चयों को भी निर्दिष्ट किया है । इसलिए उच्च न्यायालय मामले की सूक्ष्मता से परीक्षा करने के पश्चात् उस रीति में दोषसिद्धि अभिलिखित करने के अपने निष्कर्ष पर पहुंचा है, जो उसने अपनाई है और जो कि न्यायोचित है तथा इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है ।

24. उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात् दंडादेश की मात्रा पर विचार करने की आवश्यकता है । उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड सहिंता की धारा 304ख के अधीन दोषसिद्ध करके आजीवन कारावास दिया है । उपबंधित न्यूनतम दंडादेश सात वर्ष है किंतु यह आजीवन कारावास तक हो सकता है । वास्तव में, **हेम चंद** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन दंडादेश अधिरोपित करते समय आजीवन कारावास का दंड विरलतम मामलों में दिया जाना चाहिए न कि प्रत्येक मामले में । यद्यपि उक्त मामले में पाया गया कम करने वाला कारक भिन्न था, किंतु प्रस्तुत मामले में अपीलार्थी की आयु को और उस योगदान को भी ध्यान में रखते हुए जो उसके द्वारा परिवार को दिया जाना आवश्यक है, जबकि पति भी वृद्ध है और सभी अन्य परिस्थितियों पर भी विचार करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को दिए गए दंडादेश को उपांतरित किया जाना चाहिए ।

25. परिणामत: निम्नलिखित आदेश दिया जाता है :-

(i) उच्च न्यायालय द्वारा अपने तारीख 29 जून, 2017 के निर्णय द्वारा अपीलार्थी की भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख

---

[1] (1994) 6 एस. सी. सी. 727.

और धारा 498क के अधीन दोषसिद्धि को कायम रखा जाता है और इसकी अभिपुष्टि की जाती है ।

(ii) उच्च न्यायलय द्वारा तारीख 10 जुलाई, 2017 के अपने आदेश द्वारा आदेशित दंडादेश उपांतरित किया जाता है और आजीवन कारावास के दंडादेश को परिवर्तित करके अपीलार्थी को सात वर्ष की अवधि का कठोर कारावास भुगतने का आदेश दिया जाता है, जिसमें अपीलार्थी द्वारा पहले ही भुगत ली गई दंडादेश की अवधि भी सम्मिलित होगी । जो जुर्माना और व्यतिक्रम करने पर दंडादेश अधिरोपित किया गया है, उसे कायम रखा जाता है ।

(iii) यह अपील उपरोक्त निबंधनों के अनुसार भागत: मंजूर की जाती है ।

(iv) पक्षकार अपने-अपने खर्चे स्वयं वहन करेंगे । लंबित आवेदन, यदि कोई है, का निपटारा हो जाएगा ।

अपील भागत: मंजूर की गई ।

जस.